

प्रेषक,

डा0 वी0 षण्णमुगम
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 29 अगस्त, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 757/57 बजट (रा0मार्ग अनु0-राजस्व)/2017-18, दिनांक 29.7.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.4.2017 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सामान्य मरम्मत (ओ0आर0) हेतु रु0 3.39 करोड़ (रुपये तीन करोड़ उनतालीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- राज्य निर्माण से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि तथा प्रतिवर्ष व्यय के सापेक्ष भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्रतिपूर्ति दावे तथा भारत सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति का पुष्ट एवं प्रमाणित पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही भारत सरकार से विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति हेतु लम्बित धनराशि को समयबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही भविष्य में इस मद में धनराशि स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार से प्रतिपूर्ति सम्बन्धी समस्त विवरण पुष्टि सहित प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ii)-उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई-प्रोक्वोरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-252 / 111(3) / 2011-901(ए0डी0बी0) / 2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (iii)-अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों हेतु किया जाय, जिनके लिए यह धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत की गई है। आवंटित धनराशि के सापेक्ष चिन्हित कार्यों हेतु नियमानुसार आगणन गठित करते हुए उनकी सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय की जाय।
- (iv)-व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 अन्य वित्तीय नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (v)-स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मदवार विवरण शासन/भारत सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vi)-धनराशि का व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और उक्त धनराशि के विपरीत भारत सरकार से अविलम्ब आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- (vii)-स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग कर लिया जायेगा और समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

21.11

du

(viii)– उपरोक्त के अतिरिक्त इस संबंध में वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-312/3(150) XXVII(1) 2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 तथा संख्या: 610/3(150) XXVII(1) 2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-3054 सड़क तथा सेतु-01 राष्ट्रीय राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0101-राष्ट्रीय मार्ग अनुरक्षण (100 प्रतिशत के0स0)-29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त “ सामान्य मरम्मत (ओ0आर0) ” हेतु रु0 3.39 करोड़ (रुपये तीन करोड़ उनतालीस लाख मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेंट आई.डी. सं0 S 1708220259 दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। अतः तदनुसार अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 एवं शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/3(150) XXVII(1) 2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 तथा संख्या: 610/3(150) XXVII(1) 2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग(अनुभाग-02) के अशासकीय संख्या: 346 दिनांक 22 अगस्त, 2017 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 वी0 षण्मुगम)
अपर सचिव।

संख्या: 674 (1)/111 (3)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक (पी0&बी), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, गढवाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/अल्मोड़ा।
4. अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजेज, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
7. अधीक्षण अभियन्ता, 10 वॉ राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-2/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. लोक निर्माण अनुभाग-2/गार्ड बुक, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, PWD (S03B)

आवंटन पत्र संख्या - 674/111(3)/17-1(NH)2011 Date 29.8.17
अनुदान संख्या - 022

अलोटमेंट आई डी - S1708220259

आवंटन पत्र दिनांक -25-Aug-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक 3054 - सड़क तथा सेतु 01 - राष्ट्रीय राजमार्ग
337 - सड़क निर्माण कार्य 01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधित योजना
01 - राष्ट्रीय मार्ग अनुरक्षण (100% के0स0)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
29 - अनुरक्षण	0	33900000	33900000
	0	33900000	33900000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

33900000

